

प्रेस नोट थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर दिनांक 04.02.2026

**विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा गबन करने वाला 15000 रुपये का
ईनामियां 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक पंकज गुप्ता थाना राजघाट के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 324/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 406, 506 भादवि में वाँछित/इनामिया अभियुक्त फारुक अली पुत्र आशिक अली निवासी म0नं0 119 फ्लैट नं0 401 फिरदौसी काम्पलेक्स 4th फ्लोर खण्डु पाडा भिवण्डी डाण्डेकरवाडी ठाणे महाराष्ट्र पिन 421302 स्थायी पता सिसवा दाखिली थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फारुक अली पुत्र आशिक अली निवासी म0नं0 119 फ्लैट नं0 401 फिरदौसी काम्पलेक्स 4th फ्लोर खण्डु पाडा भिवण्डी डाण्डेकरवाडी ठाणे महाराष्ट्र पिन 421302 स्थायी पता सिसवा दाखिली थाना दुधारा जनपद संतकबीर नगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 324/2023 धारा 419,420,467,468,471,120बी,406,506 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना राजघाट गोरखपुर।
2. उ0नि0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव थाना राजघाट गोरखपुर।
3. मु0आ0 कयूम अली थाना राजघाट गोरखपुर।